बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:–04 / अ0प्र0–01–22 / 2016 106 / पटना दिनांक–29.5.202

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000 दिनांक–10.07.2015 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–63 सहपठित ज्ञापांक–1182 दिनांक–06.02.2019 के द्वारा श्री अवध बिहारी शरण, संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत कनीय अभियंता को कार्य प्रमंडल, बारसोई के कार्य प्रशाखा, बलरामपुर–1 में पदस्थापित किया गया था। वर्त्तमान में इनके विरूद्ध लगे गम्भीर आरोप के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित रहने के कारण विभागीय पत्रांक–1199 दिनांक–24.02.2020 के द्वारा अपना पक्ष/स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, जो सम्प्रति अप्राप्त है। श्री शरण, संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत कनीय अभियंता का यह कृत्य स्पष्टतः स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता को दर्शाता है।

अतः उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री अवध बिहारी शरण, संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत कनीय अभियंता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित रहने एवं विभागीय निदेश का अवहेलना करने के कारण इनका संविदा आधारित नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए इन्हें कार्य मुक्त किया जाता है।

29/05/2020

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक–04 / अ0प्र0–01–22 / 2016 2375 / पटना दिनांक–29.5.2020

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग / अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग / अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियाँ / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बारसोई एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/05/2020

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांकः–04 / अ0प्र0–01–22 / 2016 2375 / पटना दिनांक–29.5.2020

निबंधित

प्रतिलिपिः– श्री अवध बिहारी शरण, सेवानिवृत कनीय अभियंता, नगीना निकेतन अपार्टमेन्ट, फ्लैट नं0–202, कैलाशपुरी, हनुमाननगर, पटना–800020 (मो0 नं0–9934267850) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/05/2020

अभियंता प्रमुख।

P.T.O.

Office Order

ज्ञापांक:-04 / अ0प्र0-01-22 / 2016 2375 / पटना दिनांक- 29.5.2020

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि यह कार्यालय आदेश सभी संबंधित के साथ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल दारसोई के ई-मेल पर निश्चित रूप से प्रेषित कर दें।

अभियंता प्रमुख।

Office Order